१०/९/२४

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

CaCMS
2024/439

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.25 17:13:47 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

किशनलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः–कदीमी रास्ता प्रकरण संख्याः– 185/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.09.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी रोही ढ़ाढियावाली के खसरा संख्या 350/80 मिन संख्या 80/2/12 में 2.657 हैक्टर भूमि खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का रकबा राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढ़ाढ़ियावाली को जाने वाला रास्ता से उत्तर दिशा की तरफ रास्ता से लगभग 1.5 बीघा दुर है। प्रार्थी के रकबा को विद्यालय की ओर जाने वाले पूर्व से पश्चिम चालू रास्ता में मिलाने करते हुए दक्षिण से उत्तर कदीमी रास्ता इस खसरा की शेष आराजीराज भूमि में से चलता है। इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही लगता है। अतः उक्त कदीमी रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि प्रार्थी किशनलाल पुत्र सोहनलाल जाति ब्राह्मण साकिन सूरतगढ़ के नाम पर रोही ढ़ाढियावाली में खसरा संख्या 80/2/12 में 5.566 हैक्टर बारानी भूमि खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता रिकार्ड में अंकित नही है। प्रार्थी के चिपता हुए आराजी राज भूमि खसरा संख्या 80/2/12 में से लगभग 1.5 बीघा लम्बाई में एवं 2 बिस्वा चौड़ाई में यानि 3 बिस्वा भूमि को रास्ता के रूप में स्वीकृत करवाना चाहता है। मौका पर रास्ता चालू नही है। उक्त रकबा में से रास्ता स्वीकृत होने पर प्रार्थी को अपने खेत पर आने–जाने में सुविधा होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा कदीमी रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवदेन किया गया है। जबकि तहसीलदार सूरतगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालू नही है। कदीमी रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रस्तावित रास्ता काफी वर्षो से स्थाई रूप से चालू होना आवश्यक है। ऐसे स्थाई रूप से चालू रास्ता को ही कदीमी रास्ता हेतु स्वीकृत किया जा सकता है। जबकि प्रार्थी द्वारा कदीमी रास्ता हेतु प्रस्तावित रकबा मौका पर चालू नही है तथा तहसीलदार सूरतगढ़ ने भी अनुशंषा नही की है अतः प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बतरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.25 17:13:47 IST
Reason: SelfAttested